



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128955

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18012/2026

सोबरन

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	आकाश शर्मा, शशि प्रकाश शर्मा
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- यह जमानत अर्जी, मुकदमा अपराध संख्या 0045/2026, धारा 70(1), 351(3), 123, 3(5) बीएनएस के तहत, थाना - टेहरौली, जिला - झाँसी में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। करीब डेढ़ दिन की देरी के बाद एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान में कहा गया है कि वह आवेदक के साथ एक वाहन में गई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था या नहीं, क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। यहां तक कि उसके कपड़े भी सही हालत में पाए गए। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कोई भी चिकित्सा साक्ष्य कथित घटना की पुष्टि नहीं करता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अर्थात् गिरश @ गौरव को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 28.04.2026 के आदेश द्वारा जमानत दे दी गई है, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13922/2026 में पारित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जमानत आवेदन के पैराग्राफ नंबर 17 में आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझाया गया है और वह 07.03.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि इसी तरह के सह-अभियुक्त, अर्थात् गिरश @ गौरव को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् गिरश @ गौरव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या रोक नहीं दी गई है, और आवेदक 07.03.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

8. आवेदक- **सोबरन**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 सीआर.पी.सी./84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार धारा 174-ए आई.पी.सी./ धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय करने और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून 2026